

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक/550 /वाचक/2026

जशपुर, दिनांक ०७/०५/२०२६

प्रति,

रा.प्र.क्र. /अ-62/2025-26
ग्राम जशपुर प.ह.नं. 07 तहसील-जशपुर

1. वन परिक्षेत्राधिकारी,
जशपुरनगर
2. राजस्व निरीक्षक,
रा.नि.मं.-आरा तहसील जशपुर

विषय :- Construction of 4-lane Pathalgaon-Kunkuri-CG/JH Border Section of NH-43 starting from end point Of NH-130A design Ch. 00+000 to Ch. 104+250 (From Turua Ama Village to Putrichoura village) as part of Raipur-Dhanbad Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna (Lot5/Pkg-7) in the State of Chhattisgarh (Total Length-104.25 Km) परियोजना में प्रभावित वृक्षों के विदोहन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) का पत्र क्र. 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024

---:00:---

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचनाकर्ता/आवेदक परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) ने अपने पत्र क्रमांक 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024 द्वारा उपरोक्त परियोजना के तहत ग्राम घोराघाट स्थित 181 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के विदोहन हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु लेख किया गया है।

अतः उक्ताशय के संबंध में संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र प्ररूप-घ में तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 05

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की 1 (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-05

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 05

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड) अन्य विवरण-ख.न. 54 रकबा 0.012 हे. भूमि में कुल 05 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

--00--

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13.05.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 02

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-02


(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 02

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड) अन्य विवरण-ख.न. 50 रकबा 0.324 हे. भूमि में कुल 02 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)



वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:-

वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:-

आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13.5.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 03

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की 1 (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 03

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड) अन्य विवरण-ख.न. 97/1 रकबा 0.419 हे. भूमि में कुल 03 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 18.5.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 06

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-06

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 06

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड) अन्य विवरण-ख.न. 111/2,113/1 रकबा 0.073 हे. भूमि में कुल 06 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक

आरा जिला जशपुर

(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी

जशपुर जिला-जशपुर

(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)
विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।
सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13.5 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)
(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा
(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 03
(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00
(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं.....
दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 03
(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
(ड) अन्य विवरण-ख.न. 147/1 रकबा 0.095 हे. भूमि में कुल 03 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:-

वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:-

आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13.5.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 04

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-04

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 04

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड) अन्य विवरण-ख.न. 211/1 रकबा 0.104 हे. भूमि में कुल 04 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)
विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।
सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 19.5.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)
(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा
(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 03
(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00
(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 03
(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 67/4 रकबा 0.405 हे. भूमि में कुल 03 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

ने,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 19.5.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -


- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)
(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा
(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ


तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 04
(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00
(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-04
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 04
(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 62/1 रकबा 0.163 हे. भूमि में कुल 04 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

वेष्य:-

वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:-

आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13.5.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 01

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 01

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड) अन्य विवरण-ख.न. 62/2 रकबा 0.252 हे. भूमि में कुल 01 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक

आरा जिला जशपुर

(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)
विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।
सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026
—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13.5.26 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)
(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा
(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 12
(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00
(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं.....
दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-12
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 12
(घ) नियम 2 की लागू कांडिका कोई हो.....
(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 61/1 रकबा 0.016 हे. भूमि में कुल 12 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13

को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 01

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं..... दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 01

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 61/2 रकबा 0.217 हे. भूमि में कुल 01 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026

---00---

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक 13

को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा (छ.ग.)

(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा

(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के

अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 05

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नहीं.....
दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-05

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 05

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 210/2 रकबा 0.061 हे. भूमि में कुल 05 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है एवं भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक

आरा जिला जशपुर

वन परिक्षेत्र अधिकारी



प्रारूप -घ
(नियम 7(1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग- जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय:-

वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:-

आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 550/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.

—00—

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण ग्राम घोराघाट में दिनांक को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार- परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प.का.ई. कोरबा
(ख) संरपंच/पंच- श्री रोशन लकड़ा
(ग) पटवारी/कोटवार- श्री चन्द्रशेखर पटेल
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी- श्री रामसाय, रघुनाथ

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 106
(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या- 00
(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की ¹ (अनुमति) दिनांक... नई
दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

- (क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00
(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-106
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-. 106
(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....
(ङ) अन्य विवरण-ख.न. 210/3 रकबा 0.286 हे. भूमि में कुल 106 नग हरे- भरे वृक्ष स्थित है ए
भारतमाला परियोजना निर्देशक भारतीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व निरीक्षक

आरा जिला जशपुर

(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी

पंचनामा

स्थान - घोराघाट

दिनांक -

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (श.) जशपुर, जिला - जशपुर
द.ग. के पत्र क्रमांक/ 550/ वाचक/ 2026 जशपुर
दिनांक 07-05-2026 के परिपत्रन में भारतमाला सड़क
निर्माण में प्रभावित ग्राम - घोराघाट के वृक्षों के विरोधन की
अनुमति प्रदान करने के संबंध में ग्राम घोराघाट स्थित 181 नग
विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का नोंके में जांच किया गया, जिसका
विवरण निम्नानुसूद्ध है -

क्र.	खसरा नं.	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों की संख्या	वृक्ष की गोलाई	वृक्ष की अनुमति ऊंचाई मीटर में
1	54	साल दर्रा महुआ	3 1 1	240 250 140	12 10 12
2	50	साल आम	1 1	250 285	15 12
3	97 1	करंज	3	140	15
4	111/2 } 113/1 }	साल महुआ करंज बरगद	2 1 1 2	400 260 95 12	20 12 10
5	147 1	आम करम	1 1	100	10 12

खसरा नं.

वृक्ष की प्रजाति

वृक्षों की संख्या

वृक्ष की गोलाई

वृक्ष की अनुमानित ऊँचाई मीटर में

211
1

महुआ
आम

1
3

310

12

115

15

7

67
4

पार
साल

2
1

120

15

140

12

8

62
1

पार
साल

1
3

90

12

110

10

9

62
2

साल

1

200

8

10

61
1

साल

12

150

15

11

61
2

साल

1

60

12

12

210
2

फुटकल
करंज
साल

1
3
1

300

18

80

12

260

15

13

210
3

आम
साल
पार
महुआ
कुलुम
बरगद

7
34
32
27
2
4

260

18

80

20

75

12

250

15

315

20

285

15

योग

155



ग्राम धौराघाट, प.ह.नं. 18, रा.नि.नं. आरा, तहसील व

जिला जशपुर, द.ग. में भारतमाला लड्डू निर्माण हेतु उभावित

श्रमिकों स्थित विभिन्न प्रजातियों के कुल 155 वृक्षोंका हम लगी

दितगुणियों और श्रमका सियों की उपस्थिति में मौके में जांच किया

गया जासतम एवं लीहें।


उपस्थित श्रमका सियों के हस्ताक्षर


रुजमंशम

रेद्युवाय

रा.म.सा.पु

अ  नि
रुजमंशम


अ  नि
रुजमंशम
कोट्यु राम


अ  नि
कोट्यु राम
मकवा

मकवा


विनोद तिकीर

(कोटवार)


Roshan Bhatt


कोट्यु राम

चन्द्रशेखर पटेल
प.ह.नं. 18, रा.नि.नं. आरा, तह. जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)


Roshan

Roshan
सरपंच
ग्राम पंचायत झोलंगा
जनपद पंचायत जशपुर
जिला-जशपुर (छ०ग०)